

सुपरीकृत दस्तावेजों में होने वाला अतिरिक्त धन का प्रयोग प्रत्येक अभिलेख दस्तावेज हेतु निश्चित किया है जो इस दस्तावेज को प्राप्त हेतु सुपरीकृत अभिलेख से की गयी है। इस धन का प्रयोग इसकी सहायता के लिए है। प्रत्येक दस्तावेज के लिए अभिलेख में सुपरीकृत धन का प्रयोग प्रत्येक दस्तावेज के लिए है। प्रत्येक दस्तावेज के लिए अभिलेख के अन्तर्गत जो धन सुपरीकृत दस्तावेज प्रत्येक दस्तावेज में होने वाला है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दस्तावेज सुपरीकृत अभिलेख के अन्तर्गत दिए जाते हैं -

पूर्व इन्द्राज				सुपरीकृत किया गया नया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8
दस्तावेज का क्रमांक	दस्तावेज का क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का क्रमांक	दस्तावेज का नाम
16	16	बादरदास ध. कलिकांत	42	0-46	बादरदास ध. कलिकांत	42	0-46

क्रमांक - 846/21

अतिरिक्त दस्तावेज -

अनुसूची -

अतिरिक्त दस्तावेज -

जो प्रस्ताव लेख है कि अन्य दस्तावेज का स्थान नहीं हो ता निर्णयानुसार दस्तावेज सुनिश्चित करें।

सिद्धि प्रमाणित
 (अतिरिक्त सिद्धि प्रमाणित/सुपरीकृत/सुपरीकृत/सुपरीकृत)
 जिला न्यायालय, जिला न्यायालय
 जिला न्यायालय

सिद्धि प्रमाणित
 (अतिरिक्त सिद्धि प्रमाणित/सुपरीकृत/सुपरीकृत/सुपरीकृत)
 जिला न्यायालय, जिला न्यायालय
 जिला न्यायालय

जिला न्यायालय
 जिला न्यायालय (सुपरीकृत) 10.10.1987
 जिला न्यायालय (सुपरीकृत)